2.1

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना –नैनी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 2490 / 111(2) / 08–61 (प्रा.आ.) / 2007 दिनांक 25.07.2008 द्वारा जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैनी–विनसर भौगाड़ी दाणोछीना–भटखोला मोटर मार्ग लम्बाई 6 कि.मी. के निर्माण हेतु रू0 220.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। (शासनादेश की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न है।)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम देवलधार की आवादी (166), जोशीपालड़ी (221), नैणी (204), बिनसर (210), कुल आवादी 801 है तथा ये ग्राम अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में 250 से कम आवादी वाले ग्रामों को यातायात से जोड़ने का कार्यकम संचालित किया जा रहा है, उसी के कम में यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। इस मार्ग का निर्माण जोशीगांव–चौगांवछीना–पालड़ीछीना–झिरौली मोटर मार्ग के पालड़ीछीना (देवलधार) नामक स्थान से आरम्भ किया गया है और और स्वीकृत 6 कि0मी0 लम्बाई जोशीपालड़ी, मल्लीढाना, होते हुए नैनी में समाप्त हो जाती है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं यातायात की सुविधा न होने से अधिकारी / कर्मचारी तैनाती पर नहीं जाना चाहते हैं जिससे पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यरूप से शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा से क्षेत्रवासियों को बंचित रहना पड़ता है। कास्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। युवाओं का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से नये रोजगार के अवसरों के साथ ही चिकित्सा एवं षिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। मोटर मार्ग का निर्माण Vertical cutting कर किया जाना है अत' Horizontal width 9 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। संरेखण में आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त राज्य सरकार की भूमि आ रही है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी है। प्रभावित होने वाली वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही निर्देशानुसार डिजिटल एवं 1:50000 पैमाने का इन्डैक्स मानचित्र भी संलग्न हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण पालड़ीछीना (देवलधार) नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है जो उक्त ग्रामों से होते हुए नैनी तक पहुॅचता है। इसके अनुसार मार्ग में प्रारम्भ में सिविल सोयम उसके बाद नाप, बीच बीच में सिविल सोयम, वन पंचायत, एवं तीन स्थानों पर आरक्षित वन भूमि आती है। इसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है और अधिक आवादी लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण भी आरम्भ में प्रथम संरेखण के अनुसार प्रस्तावित किया गया है जिसमें आगे चल कर अधिकतर भाग में आरक्षित वन भूमि आती है और वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं। बैन्ड अधिक आते हैं और मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अनुसार मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं. 1** को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 6.00 कि.मी. लम्बाई में न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 4.6584 हैक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं 337 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर